भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवंम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग, सेक्टर 31 ऐ
चण्डीगढ़-160030

F.No. -: 9-HRB063/2015-CHA

दिनांक:30.09. 2014

सेवा में,

प्रधान सचिव (वन),

हरियाणा सरकार, वन विभाग,

हरियाणा सिविल सचिवालय,

चण्डीगढ-160001

विषय:- **Diversion of 0.0071 ha. of forest land for access to retail outlet of Essar Oil Ltd. along Ratia-Alikan road Km. 6-7 R/side, at village Lahli , under Forest Division and Distt.Fatehabad, Haryana.**

संदर्भः– 1 प्रधान सचिव वन के पत्र कमांक 170-va-5-2015/14236 दिनांक 05.08.15

2 नोडल आफिसर एवं वन सरक्षक (FC) के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन 6328/4063 दिनांक 24.09.15

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2 राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतू 0.0071 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैधांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

i. प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये।

ii. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

iii. भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/CAMPA दिनांक 24.06.2011 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के (CAMPA-Haryana) लेखा संख्या SB01025209, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 या (CAMPA-Haryana) लेखा संख्या SB34490 2010105418 भारतीय युनियन बैंक, सुंदरनगर, नई दिल्ली में जमा कराया जाये और इस कार्यालय के निर्धारित प्रोफ्रोमा द्वारा सूचित किया जाये।

iv. राज्य सरकार, स्थानांतरित वन भूमि पर, यदि कोई है, तो "अनुसूचित जनजाति" तथा "परम्परागत वनवासी" (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधिकारों का निपटान करेगी तथा मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या 11-9/98-FC (pt.) 5 फरवरी, 2013 के साथ पत्र संख्या 11-9/1998-FC (pt) 3 अगस्त, 2009 के द्वारा सुझाये गये दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करेगी व निर्धारित Format में Certificate प्रस्तुत करेगी।

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा।

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. प्रस्ताव के अनुसार 03 वृक्ष बाधक है जो कटवायें जायेगे।

iii. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.07.2014 को जारी दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य किया जाए।

iv. Supreme Court के आदेशानुसार जब कभी भी NPV की राशी बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।

v. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।

vi. प्रतिप्रर्ति पौधारोपण के साथ–साथ उपयुक्त पौधारोपण पहुँच मार्ग, विभाजन द्वीप व अन्य खाली स्थान पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान विनियमों के अनुसार किया जायेगा।

vii. प्रवेश एवं निकास को छोडकर बाकी हिस्से पर कुछ बुटेदार तथा सजावटी पेड पौधे लगाये जाने चाहिये तथा इस भूमि का कोई व्यापारिक प्रयोग नही होना चाहिये और न ही इस पर कोई निर्माण कार्य होना चाहिये।

viii. पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर दिवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये।

ix. इस प्रस्ताव को 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी।

x. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

xi. केंद्रीय सरकार की अनुमति के विना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।

xii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।

xiii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी।

xiv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।

xv. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समहू के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।

xvi. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी।

xvii. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।

xviii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है।

xix. प्रयोक्ता एजेंसी उपरोक्त शर्तो की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार तथा इस क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से भेजेगी।

xx. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

4. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तो की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। **केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा।**

(भवदीय)

(डा.हर्ष मित्र) 30-9-15

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. Ministry of Environment, Forest & Climate Change Indira Paryavaran Bhavan Jor Bagh Road Aliganj, New Delhi-110 003.
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सरकार, C-18, वन भवन सैक्टर 6, पंचकुला हरियाणा
3. Divisional Forest Officer, Forest Division and Distt. Fatehabad, Haryana.
4. For Essar Oil Limited.